न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2025/133

1. ख्यालीराम पुत्र श्री जयराम उम्र 50 वर्ष
2. सुरेश चन्द पुत्र श्री जयराम उम्र 44 वर्ष
   निवासीयान तन शुक्लावास गांव पवाना अहीर तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड राज0।

–अपीलांट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. तहसीलदार कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।

–रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.01.2025 उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड

उपस्थित–

1. श्री सीताराम यादव वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–23.07.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान के निर्णय दिनांक 08.01.2025 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वाके ग्राम शुकलावास तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड स्थित आराजी खसरा नम्बर 920, 919, 923, 922/1095, 925/1094, 926, 927, 946, 941, 940 भूमि के संबंध में तहसीलदार कोटपूतली द्वारा राजस्व रिकार्ड मे किस्म रास्ता परिवर्तन हेतु प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस भिजवाने जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 08.01.2025 को दिये गये।

संभागीय आयुक्त जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड के उक्त निर्णय दिनांक 08.01.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ख्यालीराम पुत्र श्री जयराम वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड

अधिकारी कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड दिनांक 08.01.2025 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके शुकलावास तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 919 रकबा 0.4700 है0 व खसरा नं. 923 रकबा 0.3500 है0 के अपीलांट्स काबिज रिकार्डेड खातेदार है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही राजस्व रिकार्ड व नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया एकपक्षीय, क्षेत्राधिकार–विहीन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। उक्त अपीलार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में से आज दिनांक तक किसी भी तरह का कोई आम रास्ता या सडक नहीं है। आमजन के आवागमन हेतु अपीलार्थीगण की उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान् से किसी भी प्रकार का कोई रास्ता ना तो राजस्व रिकार्ड में ना ही मौके पर अवस्थित है। उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली ने अपीलान्ट्स खातेदार को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही तहसीलदार, कोटपूतली द्वारा तैयार की गई एक पक्षीय निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट्स की खातेदारी में से नया रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये हैं। प्रकरण में अपीलान्ट्स को सुनवाई, जवाब, शहादत, सबूत, आदि प्रस्तुत करने का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, ना ही विधिक प्रक्रिया का कोई पालन किया गया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131–132 तथा भू–राजस्व नियम 58 से 60 के अंतर्गत प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि उक्त कार्यवाही के समय खातेदार को बिना सुने उनकी खातेदारी भूमि में गैर मु0 रास्ता दर्ज कर दिया जावे। चूंकि रास्ते संबंधी प्रावधान धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दिये गये हैं। जिसमें सभी सह खातेदारों को सुनवाई का मौका देकर उचित शुल्क जमा करने के पश्चात् ही रास्ता दर्ज करने का प्रावधान है। प्रार्थी की भूमि में कभी कोई रास्ता नहीं रहा ना ही मौके पर कोई रास्ता है। पटवारी हल्का ने बिना मौका पर गए रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है एवं मौके रिपोर्ट बनाने बाबत कोई नोटिस नहीं दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जॉच व अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड दिनांक 08.01.2025 निरस्त किया जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार कोटपूतली ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर कदीमी रूप से चालू एवं लोकोपयोग के लिए प्रस्तावित है एवं मौके पर ग्रेवल ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.12.2024 के

आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार अभिशंसा के तहत् भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रकिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। चूंकि अपीलांट्स प्रश्नगत भूमि आराजी खसरा नम्बर 919 व 923 के रिकार्डेड खातेदार हैं। प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा तहसीलदार कोटपूतली द्वारा राजस्व रिकार्ड मे किस्म रास्ता परिवर्तन हेतु प्रस्ताव के आधार पर ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 के प्रावधानानुसार भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं। पटवारी हल्का व भू0अ0 निरीक्षक की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.08.2024 के अनुसार भी प्रश्नगत रास्ता मौके पर कदीमी रूप से चालू एवं स्थाई प्रकृति का है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि प्रश्नगत रास्ता कई खसरा नम्बरान् से होकर गुजर रहा है। तहसीलदार कोटपूतली द्वारा प्रश्नगत रास्ता मौके पर चालू, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध एवं राजस्व अभिलेख में स्थाई रूप से चालू रास्ते के अंकन की अभिशंसा की गई है। तहसीलदार कोटपूतली द्वारा मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुये मौका अनुसार रास्ते का प्रस्ताव दिया गया हैं एवं उसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा विधिवत् उक्त रास्ते की भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 08.01.2025 को दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्मत् है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समक्षते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड का निर्णय दिनांक 08.01.2025 यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।